

लखनऊ, बुधवार, 16 जुलाई 2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से स्प्री-2025 योजना पर सेमिनार संपन्न

तिजारत संवाददाता

ई दिल्ली। उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी बीमा निगम, दिल्ली एवं ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से सेष्योन के परिसर ओखला दिल्ली में स्प्री-5 योजना और ईएसआईसी के बारे में रूक्ता कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस क्रम में उप क्षेत्रीय कार्यालय के गुरप्रीत (सहायक निदेशक), अतुल राठी (सहायक निदेशक) एवं कामता प्रसाद, जिक सुरक्षा अधिकारी व अमित कुमार ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष त मल्होत्रा व महासचिव वाई सी जैन द्वारा रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर आईसी, उप क्षेत्रीय कार्यालय ओखला के त सिंह, सहायक निदेशक ने कार्यक्रम में थत विभिन्न प्रतिष्ठानों के मालिकों, एच एवं लाभार्थियों को ईएसआई की नवीनम 2025 योजना के बारे में विस्तार से



जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों डॉ. मनसुख मांडविया केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा अनुमोदित स्प्री-2025 योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 1 जुलाई से 31 दिसम्बर, 2025 लागू की गई। इस योजना के तहत जो भी अपंजीकृत प्रतिष्ठान पंजीकृत किए जाएंगे वे पूर्णतः निरीक्षण और पूर्व देनदारियों से मुक्त होंगे। ऐसे प्रतिष्ठानों से पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए कोई निरीक्षण या पिछले रिकॉर्ड की मांग नहीं मांगा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना ऐसे

अपंजीकृत प्रतिष्ठानों जैसे - औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल और रेस्टोरेंट, रोड मोटर ट्रांस्पोर्ट प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल एवं क्लीनिक, नगर निगमों के टेकाथैज़ुअल कर्मचारी, दुकानें व शोरूम, सिनेमा हॉल, अखबार व मीडिया संस्थान, निजी स्कूल व कॉलेज, ठेके पर, अस्थायी और दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले इत्यादि के लिए आरंभ की गई, जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी या श्रमिक कार्यरत हैं। वे अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए

पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा तथा एमसीए पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं। उप क्षेत्रीय कार्यालय ओखला के अतुल राठी, सहायक निदेशक ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीमांकित व्यक्ति और उनके आश्रितजन चिकित्सा हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, अपंगता हितलाभ, बीमारी हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, अंत्येष्टि व्यय, राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना इत्यादि का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर ईएसआईसी के कामता प्रसाद सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, अमित कुमार एवं ओखला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राजेन्द्र छाबरा, रंजीत शर्मा (मेगा बिग बी एक्सपोर्ट), एस सी पाठक (जे पी आर स्पोर्ट), राजेश शर्मा (एसएलसीआई), नरेन्द्र नैनावत (माईलाइफ इन कलर डिजाइन), प्रहलाद सिंह आदि अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद थे।